

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1 (63)एमई/ग्रुप-1/09

जयपुर, दिनांक : 30 APR 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के उप नियम-8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्रिट के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

1. डॉ. पूजा खन्ना मालव : वर्ष 2016-17
2. डॉ. उमा आडवानी : वर्ष 2016-17
3. डॉ. सविता सैनी : वर्ष 2016-17

पदोन्नति पर उक्त चिकित्सक शिक्षकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान
1	डॉ. पूजा खन्ना मालव	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा	सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा
2	डॉ. उमा आडवानी	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3	डॉ. सविता सैनी	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा

आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव